

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक B/5538 /

जबलपुर, दिनांक 08/09/2021


श्री कुंदन शर्मा, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को रिजर्व पूल में कार्यरत रहते हुये अपने वरिष्ठ अधिकारी से अभद्र व्यवहार का कदाचार करने के फलस्वरूप सेवा अभिलेख में दर्ज न करने योग्य चेतावनी (Non-recordable warning) दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार के व्यवहार की पुनरावृत्ति होने पर गर्भारता से लिया जावेगा।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/5539 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 08/09/2021

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/आईएल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
2. इस.पी.एस.ए. आईटी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
3. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. सहायक स्थापना/सेवा पुरितिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, म.प्र.
7. ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री कुंदन शर्मा, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित।


(यू.एस. दुबे)
ओ.एस.डी.कम-पी.पी.एस.
Par